

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 4595/2017

रसालो व अन्य

बनाम

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य

आदेश दिनांक :

09.11.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

अपीलार्थीगण की ओर से, कोई उपस्थित नहीं।

कमीपूर्ति के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

दो सप्ताह में कमीपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में यह अपील इस न्यायालय के अन्य किसी आदेश के बिना स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति